न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/2021
Gcms reg. No. 2021/53

प्रार्थी :- अप्रार्थी :-

पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा बनाम श्री भरत पुत्र मोगजी यादव निवासी विनोद टॉकिज के पीछे, पुराना यादव मोहल्ला, बाँसवाडा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक :– 21.02.2022

1- पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री भरत पुत्र मोगजी यादव निवासी विनोद टॉकिज के पीछे, पुराना यादव मोहल्ला, बॉसवाडा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

1. प्रथम सूचना क्रमांक 264/11 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री भरत के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बॉसवाडा से दिनांक 17-06-2011 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 266/2011 से 100/– रूपया अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
2. प्रथम सूचना क्रमांक 367/11 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री भरत के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बॉसवाडा से दिनांक 03-08-2011 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 367/2011 से 100/– रूपया अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
3. प्रथम सूचना क्रमांक 114/18 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री भरत के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बॉसवाडा से दिनांक 03-08-2011 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 55/2018 से 100/– रूपया अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
4. इस प्रकार गैरसायल श्री भरत पुत्र मोगजी यादव निवासी विनोद टॉकिज के पीछे, पुराना यादव मोहल्ला, बॉसवाडा जो सट्टे की पर्चीयां काटते हुए कार्यवाली करते हुए पकडे जाने पर धारा 13 आरपीजीओ के तहत् 3 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तीनो प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर तीनो बार जुर्माना एवं परिवीक्षा से दण्डित हुआ है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ में प्रथम सूचना रिर्पोट 520/2018, 563/2018, 221/2018, 704/2019 कोतवाली बॉसवाडा में दर्ज होकर प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

3- इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया।

4- गैरसायल की ओर से अभिभाषक श्री दिलीप कुमार गुप्ता, श्री मोहम्मद शमीम द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29–11–2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि :–

1. गैरसायल को इस मामले में पुराने 13 आर.पी.जी.ओ के पी.टी केसेज के आधार पर मामला बनाया गया है जिसमें से 3 कैसेज में लोक अदालत की भावना से गैरसायल को न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित क़िया जा चुका है। बाकी मामलो में अभी न्यायालय में प्रकरण लम्बित है।
2. किसी मामले में न्यायालय द्वारा फैसला किया जा चुका है एवं किसी मामले में प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उसी मामले को लेकर फिर से कोई कार्यवाही नही की जा सकती है।
3. गैरसायल के विरुद्ध किसी जन प्रतिनिधि या आम व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नही कराई गई है। गैरसायल वर्तमान में शांतिपूर्वक थेला गाडी पर फल बेचकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है।
4. गैरसायल के विरूद्ध आरोपों को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण फैसल शुमार किये जाने निवेदन किया।

5- दिनांक 01.02.2022 को गैरसायल के अनुपस्थित रहने पर अभियुक्त को पुनः नोटिस जारी किया गया। बावजुद नोटिस तामिल अभियुक्त दिनांक 21.02.2022 को भी अनुपस्थित रहा। अतः अभियुक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार गैरसायल सट्टे की पर्चीयॉं काटते हुए खाईवाली करते हुए पकड़े जाने पर धारा 13 आरपीजीओ के तहत् 3 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल तीनो प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर तीनो बार जुर्माना एवं परिवीक्षा से दण्डित हुआ है। अतः प्रकरण में किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

6- हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैर सायल के विरूद्ध जो सट्टे की पर्चीयॉं काटते हुए खाईवाली करते हुए पकड़े जाने पर धारा 13 आरपीजीओ तहत् 3 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल तीनो प्रकरणों में दोषसिद्ध ठहराया जाकर तीनो बार जुर्माना एवं परिवीक्षा से दण्डित हुआ है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है।

<u>आदेश</u>

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् गैरसायल श्री भरत पुत्र मोगजी य[illegible] पुराना यादव मोहल्ला, बॉसवाडा को बॉसवाडा तहसील क्षैत्र से तीन माह के लिये नि[illegible] जाता है। गैर सायल उक्त तीन माह की अवधि में तहसील क्षैत्र बॉसवाड़ा में विचरण [illegible] प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैरसायल तहसील क्षेत्र, कुशलगढ [illegible] अधिकारी कुशलगढ को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु [illegible] पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को भेजी जावे। यह आदेश दिनांक 26.02.2022 से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण तहसील क्षैत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बॉसवाडा में स्थित किसी माननीय न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात् इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेश बुनकर)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner